

देश की कम  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित

14.06.19

### न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह- आर्बिट्रेटर, धनबाद आर्बिट्रेशन केश नं0-29 / 2019

सहयनु खातुन -बनाम्- भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ  
प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा-राजगंज, थाना नं0-198, खाता नं0-125 प्लॉट नं0-1495, रकबा-0.025 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ-02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक को भुगतान किया गया राशि बाजार मूल्य से बहुत ही कम है, उक्त भूमि का किस्म आवासीय है, जबकि कृषि भूमि के दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा अर्जित भूमि का उचित मूल्यांकन कर व्याज सहित भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया कि भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जांच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि का निर्धारित दर पर पुनर्मूल्यांकन कर देय मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

*14/06/19*  
अपर समाहर्ता  
-सह-  
आर्बिट्रेटर धनबाद।

*14/06/19*  
अपर समाहर्ता  
-सह-  
आर्बिट्रेटर धनबाद।